

आज्ञा


राजस्थान पशुपालन सेवा नियम 1963 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान पशुपालन सेवा के निम्नांकित उप निदेशकों को वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर वर्ष 2015-16 एवं वर्ष 2016-17 की रिक्ति के विरुद्ध संयुक्त निदेशक (सामान्य) (पी.बी.-3-15600-39100 ग्रेड पे 7600/-) के पद पर एतद् द्वारा पदोन्नत किया जाता है :-

वर्ष 2015-16

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	वर्ग	विशेष विवरण
1.	डा. लाजवंती चंगुलानी	सामान्य	सेवा निवृत्त
2.	डा. महेश कपिला	सामान्य	सेवा निवृत्त
3.	डा. सुभाष गोदारा	सामान्य	
4.	डा. मुकेश कुमार सक्सैना	सामान्य	सेवा निवृत्त
5.	डा. भागीरथ लाल मीना	अजजा	

वर्ष 2016-17


1.	डा. बाल किशन बैरवा	अ.जा.	
2.	डा. जी.एल. लूणियां	अ.जा.	
3.	डा. बी.आर. जेदिया	अ.जा.	
4.	डा. रामजी लाल मीणा	अ.ज.जा.	
5.	डा. गजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव	सामान्य	सेवा निवृत्त
6.	डा. राधेश्याम गुप्ता	सामान्य	
7.	डा. शिव कुमार अग्रवाल	सामान्य	
8.	डा. नीरू कपिला	सामान्य	स्वैच्छिक सेवा निवृत्त
9.	डा. भगवान सहाय	सामान्य	
10.	डा. सत्यनारायण शर्मा	सामान्य	सेवा निवृत्त
11.	डा. हरीराम वर्मा	सामान्य	
12.	डा. राजेन्द्र कुमार तमोली	सामान्य	
13.	डा. दिलीप सिंह	सामान्य	
14.	डा. राजकुमार मिड्डा	सामान्य	
15.	डा. कंवर पाल सिंह	सामान्य	सेवा निवृत्त
16.	डा. यशपाल सिंह/संग्राम सिंह	सामान्य	
17.	डा. सुषमा विज	सामान्य	
18.	डा. गौरीनन्दन गोयल	सामान्य	
19.	डा. देशपाल सिंह	सामान्य	
20.	डा. राजेन्द्र कुमार सारडीवाल	सामान्य	सेवा निवृत्त
21.	डा. शिवपतराम धायल	सामान्य	सेवा निवृत्त
22.	डा. रमेश चंद गुप्ता	सामान्य	



उपरोक्त चयन एस.बी.सिविल याचिका संख्या 11308/2015, डॉ० गोविन्द राम चौहान बनाम राज्य व अन्य, एस.बी.सिविल याचिका संख्या 18692/2012 डॉ० रामप्रकाश नायक बनाम सरकार तथा एसबी सिविल रिटपीटिशन संख्या 15056/2016 डा. रेणु गौयल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अध्याधीन होगा।

क्र.सं 1, 2 एवं 4 (वर्ष 2015-16) व क्र.सं. 5,10, 15, 20 एवं 21 (वर्ष 2016-17) में अंकित पदोन्नत अधिकारियों (सेवानिवृत्त) के अलावा शेष पदोन्नत अधिकारियों के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जा रहे हैं।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(एन० एल० गुप्ता)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, पशुपालन, मत्स्य एवं गोपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. निजी सचिव, शासन सचिव, पशुपालन, मत्स्य एवं गोपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
4. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक(क-2) विभाग।
5. निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर
6. संबंधित अधिकारी द्वारा निदेशक, पशुपालन विभाग, राज., जयपुर
7. निजी/रक्षित पत्रावली।



शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
पशुपालन विभाग

क्रमांक:-प.4(10)पपा/2016

जयपुर, दिनांक :- 21 NOV 2016

—: आदेश :—

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 21.11.2016 द्वारा राजस्थान पशुपालन सेवा के उप निदेशक से संयुक्त निदेशक के पद पर पदोन्नति उपरान्त निम्नांकित अधिकारियों का स्थानान्तरण/पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर एतद् द्वारा तुरन्त प्रभाव से किया जाता है :-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	नवीन पदस्थापन स्थान
1.	डॉ0 राजकुमार मिदढा	उप निदेशक, पशुधन विकास, श्रीगंगानगर	संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, श्रीगंगानगर
2.	डॉ0 हुकमाराम	संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, श्रीगंगानगर पद विरुद्ध	उप निदेशक, पशुधन विकास, श्रीगंगानगर
3.	डॉ0 यशपाल सिंह	उप निदेशक, पशुधन विकास, कोटा	संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, झालावाड़ रिक्त पद पर
4.	डॉ0 देशपाल सिंह	उप निदेशक, बहु.उ.प.चि. बाड़मेर	संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, जालौर रिक्त पद पर
5.	डॉ0 रमेश चन्द गुप्ता	उप निदेशक, शूकर फार्म, अलवर	संयुक्त निदेशक, निदेशालय गोपालन, जयपुर रिक्त पद पर

इस विभाग के समसंख्यक पदोन्नति आदेश दिनांक 21.11.2016 में वर्ष 2015-16 की रिक्तियों के विरुद्ध समस्त पदोन्नत अधिकारी एवं वर्ष 2016-17 रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नत अधिकारियों में से क्र.सं.1,2,3,4,6,7,9,11,12,13,17,18 पर अंकित अधिकारी पूर्व से संयुक्त निदेशक पद के विरुद्ध कार्यरत हैं, अतः वे अपने पद पर ही यथावत पदस्थापित रहेंगे तथा अपनी कार्यग्रहण रिपोर्ट इस विभाग को प्रेषित करेंगे।

राज्यपाल के आदेश से

(एन0 एल0 गुप्ता)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, पशुपालन विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान।
3. निदेशक, पशुपालन विभाग, राज0, जयपुर।
4. समस्त अतिरिक्त निदेशक क्षेत्र, पशुपालन विभाग, राजस्थान।
5. समस्त संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान।
6. संबंधित अधिकारी द्वारा निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव